न्यायालय, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज

भूमि विवाद वाद सं0– 68 / 2014–15

अरूण कुमार मंडल एवं अन्य वनाम् बिहार सरकार (अंचल अधिकारी)

आदेश की तिथि–	पदाधिकारी का आदेश	कृत कार्रवाई

-12-2014

आदेश

आवेदक / वादी पक्ष अरूण कुमार मंडल पिता केवी मंडल वो (2) धर्मदेव मंडल पेसरान स्व0 सीताराम मंडल, सानिक–चौसा, टपुआ टोला, थाना वो अंचल–चौसा, जिला–मधेपुरा की ओर से भूमि विवाद संबंधी आवेदन भूमि विवाद प्रशाखा, अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज में दायर किया गया। प्रधान लिपिक, भूमि विवाद प्रशाखा, अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज से संवीक्षोपरान्त बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली–2010 के नियम–7 (II) के अन्तर्गत निबंधित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में उपस्थापित किया गया।

प्रतिवादी पक्ष के बिहार सरकार (अंचल अधिकारी, चौसा), जिला–मधेपुरा, को सूचना निर्गत किया गया।

प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपने प्रत्युत्तर एवं साक्ष्य दाखिल किये।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनकी ओर से दाखिल आवेदन / प्रत्युत्तर एवं साक्ष्यों के परिशीलन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं–

1. वादी की ओर से दाखिल वादपत्र में वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है–

मौजा / थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा बी0–क0–धुर	माँग रकवा ए0–डी0
चौसा / 103	673 पु / 1186 न0	1871 पु0 / 4613 न0	02–00–11 (यानि 1.30 एकड़)	01–28 $\frac{1}{4}$

वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर उनके अधिकार घोषित करने और उनके अनुसार हाल सर्वे खतियान में गलत प्रविष्टीयों को हटाकर सही करते हुए संशोधन करने के अनुतोष की माँग किया गया है।

2. वादी की ओर से मौजा–चौसा, थाना नं0–103 के पुराना सर्वे खतियान की प्रति दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार खेसरा–673, रकवा–1.92 एकड़ भगवान भगत वो नेवा भगत पेसरान देवी भगत के नाम से दर्ज है। पुनः वादी की ओर से सूचना प्रपत्र में तसदीक खतियान संबंधी सूचना संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार पुराना खाता–672, खेसरा–1871पु0 से हाल खाता–1186, हाल खेसरा–4613 बना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुराना खेसरा–673 से कौन–कौन नया खेसरा बना है यह अस्पष्ट रह जाता है, बल्कि सूचना प्रपत्र से यह पता चलता है कि पुराना खेसरा–1871 से नय खेसरा–4613 नया खाता–1186 के अन्तर्गत हाल सर्वे खतियान में दर्ज हुआ है। इस प्रकार वादी का यह दावा कि हाल

खाता–1186 पुराना खाता–673 से बना है, सही प्रतीत नहीं होता है। वादी की ओर से दाखिल हाल सर्वे खतियान के अनुसार हाल सर्वे खाता–1186, खेसरा–4613, रकवा–01डी0, रधुनी मंडल वो गोविन्द्र मंडल वो वसन्त मंडल पेसरान शिवु मंडल 01 अंश समान वो सीता मंडल वो उचित मंडल वो केबी मंडल पेसरान दरोगी मंडल 01 अंश समान वो भ्रम्मी मंडल वो विरानी मंडल पिता झसकु मंडल 02 अंश समान करके दर्ज है। वादी का कथन है कि पुराना खतियानी रैयत भगवान भगत वगैरह ने निबंधित बिक्रय पत्र दस्तावेज सं0–2725 दिनांक–22. 08.1933 वादी के दादा झकसु मंडल पे0 सानु मंडल को खेसरा–871पुराना में 02 बीधा यानि 01.75 एकड़ जमीन बिक्री वो अन्तरित किया, जबकि हाल खतियान में सर्वे अमला की गलती से 01डी0 दर्ज हो गया है, परन्तू वादी द्वारा वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शेष रकवा 1.74 एकड़ बर्त्तमान में खतियान में किसके–किसके नाम पर दर्ज है और नक्सा के अनुसार उसका क्या रकवा है। पुनः वादी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वर्त्तमान में उक्त भूमि पर कौन–कौन दखलकार हैं और कितना–कितना रकवा उनके दखल–कब्जे में है। पुनः इस वाद वादी अरूण कुमार मंडल वो धर्मदेव मंडल द्वारा, जो क्रमशः खतियानी रैयत नेवी मंडल वो सीताराम मंडल के पुत्रगण हैं, में हाल खाता–1186 के अन्य खतियानी रैयतों या उनके वंशजों/उत्ताधिकारीयों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि इस वाद के अनिवार्य पक्षकार होंगे।

निष्कर्षः–

उपरोक्त तथ्यों एंव विवेचना से निष्कर्ष निकलता है कि इस वाद में अनिवार्य पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है, वादी द्वारा वर्त्तमान दखल–कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि के दखलकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसके अतिरिक्त यह भी अस्पष्ट है कि नक्सा के अनुसार स्थल पर रकवा एवं दखलकारों की स्थिति क्या है।

अतः अनिवार्य पक्षकार के अभाव, अस्पष्टता के कारण एवं बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की धारा–04, उपधारा–02 के प्रावधान के आलोक में वादी के वादपत्र को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Seen Sd/ ADR 19.1.15

लेखापित एवं संशोधित

5.12.2014

भूमि सूधार उप समाहर्त्ता
उदाकिशुनगंज

5.12.2014

भूमि सूधार उप समाहर्त्ता
उदाकिशुनगंज